

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

नई टिहरी

पत्रांक:- 1272/पी०-सि०ख०-२/
सेवा में,

दिनांक 18/11/2022

प्रभागीय वनाधिकारी,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

विषय- टिहरी के जौनपुर विकासखण्ड में मरोड़ा से बनानी मोटर मार्ग के किमी० ३ से कुण्ड ८.१२५
किमी० तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ५.१४१५ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास
विभाग को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ- ०८बी०/यू०सी०पी०/०६/९४/२०१९/एफ०सी०/१७७८, दिनांक ०८.११.२०१९
महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के शर्तों की अनुपालना निम्नलिखित है-

क्र० सं०	शर्तें	अनुपालना
1	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् १०.२८३ हे० मौजा कुण्ड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् १०.२८३ हे० मौजा कुण्ड सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके १० वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि जमा कर दी गयी है। जिलाधिकारी के आदेश संख्या- ५०७/XI-१२८(२०१८-१९) दिनांक फरवरी, १७, २०२०, नई टिहरी के द्वारा हस्तान्तरण किया जा चुका है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या ०३
2	Guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षे. जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, १९२७ के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-०३ के पत्र संख्या- ८३१/X-३-२२/१(५०)२०१९ दिनांक २३.०८.२०२२ के द्वारा आरक्षित भूमि घोषित कर दी गयी है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या ०१ एवं ०२
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या ५-३/२००७-एफ.सी. दिनांक ०५.०२.२००९ के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा कर दी गयी है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या ०४
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त संख्या ०४ के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रमाण पत्र प्रमाणित किया जाता है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या ०५
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सभी निधियां (CA Cost. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा करवा दिया गया है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या ०६

6	कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 175 वृक्ष एवं 9 Saplings से अधिक न हो	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि परियोजना में कुल $103 + 49 = 152$ वृक्षों का पातन किया जायेगा। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 07
7	State Govt. will submit the plantation scheme in degraded forst land in lieu of 5 ha MDF in proposed CA area as per Ministry's guidelines dated 2-11-2017	Proposed CA area MDF में नहीं है, जिसके लिये उपयुक्तता प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 08
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 09
2	एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 6
3	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 10
4	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित करा दिया गया है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 11
5	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।	उक्त शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टॉफ के लिए रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचायेंगे। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 12
6	परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं ज जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं ज जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 13
7	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संसिी, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जायेगा। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 14

8	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी।	उक्त शर्त के अनुपालन में सड़क निर्माण के पश्चात् जहां-जहां संभव हो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जायेगी। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 15
9	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।	उक्त शर्त के अनुपालन में परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 16
10	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी	उक्त शर्त के अनुपालन में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी संलग्नक- प्रपत्र संख्या 17
11	ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।	उक्त शर्त के अनुपालन में ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे। यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है। संलग्नक- प्रपत्र संख्या 17

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

पत्रांक:- 1772/पी0-सि0ख0-2/ तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक, इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. सहायक अभियन्ता-चतुर्थ, पी0एम0जी0एस0वाई0, सि0ख0-2, नई टिहरी।

प्राप्त किया।

22-11-2022

पत्र प्राप्ति की तिथि 23/11/2022

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

प्राप्तकर्ता का पदनाम

न्यायालय का नाम- न य प्र मुनि-की-रेती

18/11/22

अधिशाली अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड-2
नई टिहरी

अधिसूचना

राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या-16 वर्ष 1927) की धारा 29 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रयोजनार्थ जिला टिहरी गढ़वाल में मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 03 से कुण्ड तक मोटर निर्माण हेतु हस्तान्तरित कुल 05.1415 है० आरक्षित वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल द्वारा वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी राज्य सरकार के स्वामित्व की श्रेणी-9(3)ड० (अन्य कारणों से बंजर भूमि) के 10.283 है० क्षेत्रफल जिसका विवरण नीचे तालिका में दिया गया है, को वन भूमि के साथ-साथ संरक्षित वन घोषित करते हैं:-

तालिका

क्र० सं०	जिला	ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	चयनित क्षेत्रफल (है०)	भूमि की किस्म
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	टिहरी गढ़वाल	कुण्ड	सकलाना	14	1485	5.617	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड०
					1513	4.666	
					योग:-		10.283

उपरोक्त क्षेत्र भू-अभिलेखों में वन विभाग के नाम नामान्तरित होने से किसी भी प्रकार की अधिकार एवं रियायतों के दावों से मुक्त है।

भाग-2 (सीमा विवरण)

वृक्षारोपण क्षेत्र के सीमांकन हेतु प्रस्तावित सीमा स्तम्भों का विवरण (जी०पी०एस० लोकेशन सहित) निम्न प्रकार है।

Co-ordinates of area					
ID	Longitude	Latitude	ID	Longitude	Latitude
1	78°15' 19.74" E	30°18' 36.22" N	13	78°15' 19.74" E	30°18' 45.38" N
2	78°15' 16.95" E	30°18' 41.9" N	14	78°15' 18.48" E	30°13' 45.18" N
3	78°15' 16.98" E	30°18' 43.62" N	15	78°15' 21.75" E	30°13' 33.31" N
4	78°15' 19.29" E	30°18' 41.24" N	16	78°15' 24.99" E	30°13' 33.01" N
5	78°15' 19.88" E	30°18' 36.06" N	17	78°15' 28.37" E	30°13' 34.37" N
6	78°15' 21.89" E	30°18' 34.83" N	18	78°15' 28.82" E	30°13' 32.67" N
7	78°15' 24.65" E	30°18' 34.18" N	19	78°15' 26.15" E	30°13' 28.34" N
8	78°15' 26.36" E	30°18' 35.73" N	20	78°15' 26.07" E	30°13' 25.1" N
9	78°15' 24.99" E	30°18' 40.3" N	21	78°15' 23.12" E	30°13' 23.54" N
10	78°15' 22.67" E	30°18' 42.21" N	22	78°15' 20.17" E	30°13' 23.54" N
11	78°15' 20.65" E	30°18' 42.22" N	23	78°15' 18.29" E	30°13' 26.64" N
12	78°15' 20.78" E	30°18' 45" N			

(विजय कुमार यादव)
सचिव।

**Signed by Vijay Kumar
Yadav**

क्रमशः2

Date: 23-08-2022 10:54:27

संख्या:- 831 /X-3-22/1(50)/2019.तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन महानिरीक्षक, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जोरबाग रोड, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
7. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड।
8. जिलाधिकारी, जनपद-टिहरी गढ़वाल।
9. उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
10. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की को साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट खण्ड (व).भाग-4 में प्रकाशनार्थ।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
12. गार्ड फाईल।

**Signed by Satya Prakash
Singh**

आज्ञा से,

Date: 23-08-2022 13:21:28

(सत्यप्रकाश सिंह)

उप सचिव।

आदेशः

क्षेत्र) 25 सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/ 94/2019/एफ०सी०/1778 दिनांक 08.11.2019 के द्वारा जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड 8.125 कि०मी० तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 5.1415 है० वन भूमि का गैर वाणिज्यी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना की 10.283 है० सिविल भूमि(उत्तराखण्ड सरकार के स्वामित्व) का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी कीर्तिनगर के पत्र संख्या-249/र०का० (भूमि हस्तान्तरण) -20 दिनांक धनोली 24 जनवरी 2020 के अन्तर्गत तहसील धनोली की भूमि निम्नवत् प्रस्तावित की गई है।

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा संख्या	अर्जित रक्बा(है०में)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
कुण्ड	सकलाना	14	1485	5.617 है०	उत्तराखण्ड सरकार
			1513 मध्ये	4.666 है०	वर्ग 9(3)ड
				10.283 है०	

प्रस्तावित मरोड़ से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड 8.125 कि०मी० तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के दृष्टिगत शारनादेश संख्या -2882/XVIII(II)/ 11-18(120)/ 2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश संख्या -2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग -2 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी धनोली के द्वारा प्रस्तावित किये गये ग्राम कुण्ड पट्टी सकलाना के खाता संख्या-14 के खसरा नम्बर 1485 रक्बा 5.617 है० एवं खसरा नम्बर 1513 मध्ये 4.666 है० कुल रक्बा 10.283 है० (दस दशमलव दो आठ तीन है०) श्रेणी 9(3)ड. (राजस्व विभाग के नियन्त्रणाधीन) सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु अन्तरित की जाती है। तहसीलदार धनोली तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित / इन्द्राजी करना सुनिश्चित करें।

यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

(डा०वी०षणमुगम)
जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या- 507/XI-18(2018-19) दिनांक नई टिहरी, फरवरी, 17, 2020

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, वन विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद देहरादून।
- 3- आयुक्त गढ़वाल गण्डल पौड़ी।
- 4- मोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण वन विभाग उत्तराखण्ड देहरादून।
- 5- प्रभागीय वनाधिकारी मसूरी वन प्रभाग मसूरी।
- 6- अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, (लो०नि०वि०) सिंचाई खण्ड-2 नई टिहरी।
- 7- उप जिलाधिकारी धनोली।
- 8- तहसीलदार धनोली को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

Account Name: To Name
 Account Number: To No
 Branch Name: To Name

383901000510

000760

03019020

CHIT 1 EMPLOYEE OF UTTARANCHAL

1000 10000000

Branch Name: To Name
 Account Number: To No
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name
 Branch Name: To Name

UTTARANCHAL CANPA

150870121822911

CORPORATION BANK

CORP0000371

LODHI COMPLEX NEW DELHI

150870121822911

PERSON CODE TO 1000

CTCH	Cost of Sales - Cost of Transfer	WAGE			
LOST	Cost of Sales - Cost of Transfer	WAGE			
DIV	Dividend Income	PENS			
GOVT	Government Payment / Grant	SALA			
HLGG	Housing Grant	SECU			
INTC	Interest on Loans / Advances	LTRE			



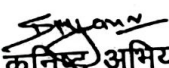
[illegible]

योजना का नाम

:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एन०पी०वी० जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में एन०पी०वी० की देय धनराशि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन०पी०वी० की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

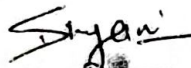

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

प्रपत्र-21

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग क कि०मी० 3 स कुण्ड (8.125 कि०मी०)क नव निवास हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना क्षेत्र में विद्यमान वृक्षों में से कम से कम वृक्षों का काटान/पातन किया जाने का प्रमाण पत्र.

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले कुल (103+49 मसूरी वन प्रभाग, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग)वृक्षों में से वास्तविक रूप से कम से कम वृक्षों का पातन किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी के विकासखण्ड जौनपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मरोड़ा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3.00 से कुण्ड मोटर मार्ग के नव निर्माण कार्य हेतु प्रभावित 5.1415 है० वनभूमि के हस्तान्तरण मामले में प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 10.283 है० का रायपुर रैंज के अन्तर्गत पूर्व में प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित दोगुने क्षेत्र 11.215 है० सिविल सोयम भूमि मौजा कुण्ड का दिनांक 12.09.2019 को स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इस सम्पूर्ण क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र 10.283 है० में हरियाली का घनत्व 0.4 से कम है, जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है, जिसमें 1000 पौध प्रति है० वृक्षारोपण कार्य किया जा सकता है।


JE.


सहायक अभियन्ता - घटुआ
पी०एम०जी०एस०वाई. सि०ख०-
नई टिहरी
(ज०मा०ह०म०स०ह०स०स०
वनप्रभाग
(को०ह०म०स०ह०स०स०
वनप्रभाग
दि०११/०९/१६/११)


वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रैंज
मसूरी वन प्रभाग
CS


उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून
मसूरी वन प्रभाग

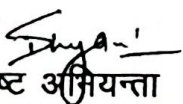

प्रभागीय वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

परियोजना का नाम

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत खण्ड टिहरी के जैनपुर विभाग द्वारा मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

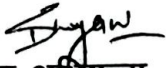


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

योजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को लेबर कैम्प ना लगाये जाने प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों के लिये प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

योजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनगली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि सीमांकन सम्बंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का सीमांकन किया गया है।

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

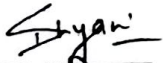
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में कार्यरत श्रमिकों को मिट्टी तेल/रसोई गैस उपलब्ध कराये जाने प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण कार्यरत श्रमिकों को रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति उपलब्ध करायी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में
मरोडा से बनगली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०)के नव निर्माण हेतु
वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वन्य जीव/वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण कार्य/ रख-रखाव के दौरान वन्य
जीवों/ स्थानीय वनस्पतियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

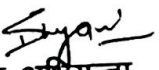


अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० 3 से कुण्ड (8.125 कि०मी०) के नव निमाण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना का प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये वन भूमि प्रयोग नहीं किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

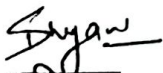

सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

योजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोड से बनाली मोटर मार्ग क कि०मी० ३ से कुण्ड (४.१२० कि०मी०) के नय विना हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना के निर्माण के पश्चात जहाँ जहाँ सम्भव हो प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में Strip Plantation किया जायेगा अथवा Strip Plantation हेतु धनराशि वन विभाग के पक्ष में स्थानन्तरित कर दी जायेगी।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

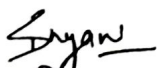


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्जित जनपद टिहरी के जैमपुर विकास खण्ड में
मरोडा से बनाली मोटर मार्ग के कि०मी० ३ से कुण्ड (८.१२५ कि०मी०) के नव निर्माण
हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रस्ताव में संलग्न मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय देख-रेख में अथवा प्रयोक्ता अभिकरण चाहे तो वन विभाग द्वारा किया जा सकता है। निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र नहीं फेंका जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

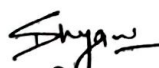


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी

योजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अर्न्तगत जनपद टिहरी के जौनपुर विकास खण्ड में मरोडा से वनाली मोटर मार्ग के कि०मी० ३ से कुण्ड (८.१२५ कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमी हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता कि परियोजना में यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी। तथा अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रयोक्ता विभाग उक्त शर्तों का अनुपालन करेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी


अधिशाली अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०,
खण्ड सिंचाई-२ नई टिहरी